न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2022(नि.पं.) **(GCMS 2022/35)**	**16.03.2022**	**29.08.2023**

अनवान

शंकरलाल पिता भूरा रेगर उम्र 61 वर्ष पेशा कृषि निवासी रोलाहेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

निगराकार

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत रोलाहेडा तहसील व जिला जिला चित्तौड़गढ़।
2. पीरूलाल पिता शंकरलाल रेगर जाति रेगर उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि निवासी रोलाहेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

गैर निगराकारान

उपस्थिति :– सीएम गर्ग निगराकार
अनुपस्थित गैर–निगराकार संख्या 1, 2

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत रोलाहेडा निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.03.2019 पट्टा संख्या 24 बुक संख्या 4 पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रारूप संख्या 23 'क' (नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत रोलाहेड़ा द्वारा पट्टा संख्या 24 चौबीस दिनांक 05.03.2019 अक्षरे पांच मार्च सन् दो हजार उन्नीस को विपक्षी संख्या 02 पीरूलाल रेगर के नाम आवासीय भूमि का पट्टा (वापी पट्टा बनाने की स्कीम) के तहत जारी किया जो पूर्ण रूप से गलत होकर झूठे तथ्यों एवं झूठे शपथ पत्रों पर होने से निरस्त कराने हेतु यह निगरानी पेश हैं। निगराकार के परिवार का सजरा मुताबिक आवेदन पत्र है। स्वर्गीय भूराजी जो निगराकार के पिता व विपक्षी नम्बर 02 के ग्राण्ड फादर थे उन्होंने एक बाड़ा मोल लिया और उसमे एक सामान साईज के तीन प्लॉट बनाचये और उन तीनों प्लॉटों में भूराजी ने एक–एक मकान बनाकर तीनों भाईयों को अलग–अलग उनको उनके जीवनकाल में ही दे दिया था। जिसमे तीनों भाई अलग–अलग उन प्लॉटों में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज तक रहते चले आ रहे है और सबसे बड़ा पुत्र नाना की मृत्यु हो जाने से उसके प्लॉट में उसकी पत्नी कमला बाई रहती है दूसरे पुत्र शंकरलाल (निगराकार) जी है जिसके दो पुत्रों नाम क्रमशः पीरूलाल व सुरेश है वे सब साथ रह रहे है तीसरा पुत्र भगवानलाल है जो भी उसके प्लॉट में रह रहा है नाना व शंकर (निगराकार) के बीच वाला प्लॉट भगवानलाल का है। इस प्रकार निगराकार ने 19 फरवरी 2011 को अपने मकान व प्लॉट का बापी पट्टा बनाने हैं विपक्षी नम्बर 01 के यहां फार्म भरा जिसमे शंकर (निगराकार) के पट्टा जारी करने हेतु स्वयं भूराजी ने अपना अनापत्ति का शपथ–पत्र दिया था। निगराकार ने अपने आवेदन फार्म में अपने प्लॉट के पड़ौसी पश्चिम दिशा का रामेश्वर तेली, दक्षिण दिशा का कालु पिता जीता रेगर का शपथ–पत्र दिलाया किन्तु विपक्षी नम्बर 01 ने निगराकार के नाम पर वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा जारी नही किया और विपक्षी नम्बर 02 श्री पीरूलाल का कोई प्लॉट नही है, उसके पिता अभी जीवित है। शंकरलाल (निगराकार) के दो पुत्र है। इस प्रकार वादग्रस्त प्लॉट को अकेले विपक्षी नम्बर 02 पीरूलाल के नाम वादग्रस्त पट्टा जारी करने में गंभीर कानूनी भूल की है। इस कारण वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश है। निगराकार ने मुताबिक आवेदन पत्र के पड़ौसों एवं निम्न साईज के अपने भूखण्ड में बने मकान का बापी पट्टा देने हेतु आवेदन किया जिसका विवरण आवेदन पत्र में वर्णित है। विपक्षी नम्बर 02 ने अपने आवेदन–पत्र में प्लॉट की साईजे गलत अंकित की है। पूर्वी भुजा 12 फीट पश्चिमी भुजा 14 फीट दक्षिणी भुजा 60 फीट उत्तरी भुजा 60 फीट गलत अंकित है उसका विपक्षी नम्बर 01 ने बिना फॉर्म की जांच किये तथा प्लॉट का बिना भौतिक सत्यापन किये वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 गलत जारी कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी नम्बर 02 ने अपने आवेदन पत्र में अपने प्लॉट का पश्चिम दिशा व पड़ौसी रामेश्वर तेली को दिखाया किन्तु रामेश्वर तेली का शपथ–पत्र नहीं दिया है, दक्षिण दिशा का पड़ौसी कालू पिता जेता रेगर दिखाया किन्तु उसका शपथ–पत्र नहीं दिया है। इसी प्रकार उत्तर दिशा का पड़ौसी भगवानलाल रेगर को दिखाया किन्तु उसका शपथ–पत्र नही दिया है। इसी प्रकार विपक्षी नम्बर 02 के पिता शंकरलाल रेगर (निगराकार) जीवित है किन्तु उनका अनापत्ति का शपथ–पत्र भी विपक्षी ने नहीं दिलाया है। इस कारण पट्टा संख्या 24 निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 जारी करने की कोई मिसल कायम नहीं की है। यह पट्टा कोरम में पास हुआ है या प्रशासन गांवों के संग अभियान में बनाया है। इसका हवाला पट्टे में नही है। वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 के वादग्रस्त प्लॉट में बना घर विपक्षी नम्बर 02 ने 50 वर्षो से अधिक समय से बनाया हुआ होना बताया है जबकि विपक्ष नम्बर 2 की उम्र ही 40 वर्ष है। इस कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 की सर्वप्रथम जानकारी 17.12.2021 को हुई और दिनांक 17.12.2021 को ही निगराकार ने वादग्रस्त पट्टे की नकल लेने हेतु सूचना के अधिकार 2005 के रजिस्टर्ड लेटर से आवेदन पत्र विपक्षी नम्बर–1 के पास भेजा जिससे विपक्षी नम्बर 01 ने दिनांक 21.12.2021 को पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.03.2019 की सत्य प्रतिलिपी दी। इस प्रकार दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.03.2019 से लगायत दिनांक 15.12.2021 तक की देरी 02 वर्ष 09 माह 11 दिन देरी हुई जो जानकारी के अभाव में हुई है जानकारी दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 21.12.2021 तक की देरी जो 05 दिन की हुई वह नकल प्राप्त करने में हुई है। इस प्रकार दिनांक 05.03.2019 से लगायत 21.12.2021 की हुई समस्त देरी 02 वर्ष 09 माह 16 दिन हुई है। सद्भावनापूर्ण है जो कण्डोन करने योग्य है। इस कारण इस देरी को कण्डोन कराने हेतु भारतीय कानून मियाद अधिनियम 1963 की दफा 05 का प्रार्थना पत्र मय निगराकार के शपथ पत्र के साथ अलग से पेश है। इस प्रकार उक्त हुई समस्त देरी को कण्डोन करने पर यह निगरानी पट्टे की सत्य प्रतिलिपी मिलने की दिनांक 21.12.2021 से आज अन्दर मियाद 30 दिन के पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 जो विपक्षी नम्बर 02 के नाम पर है उसे निरस्त करने का आदेश प्रदान करें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा पत्रांक/ग्रा.पं. रोलाहेडा/2022-2023/06 दिनांक 12.04.2022 से ग्राम पंचायत रोलाहेडा ने अपने पत्र में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रेकार्ड प्रस्तुत किया गया एवं मिसल पत्रावली नहीं मिली है। ग्राम पंचायत रोलाहेडा से प्राप्त अभिलेख पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 13.04.2022 को विपक्षी संख्या 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। दिनांक 27.04.2022 को विपक्षी संख्या 1 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई।

दिनांक 22.08.2023 को अधिवक्ता निगराकार हाजिर आये एवं बहस हेतु निवेदन किया। इस पर हाजिर अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निगराकार के परिवार का सजरा मुताबिक आवेदन पत्र है। स्वर्गीय भूराजी जो निगराकार के पिता व विपक्षी नम्बर 02 के ग्राण्ड-फादर थे उन्होंने एक बाड़ा मोल लिया और उसमे एक सामान साईज के तीन प्लॉट बनाचये और उन तीनों प्लॉटों में भूराजी ने एक-एक मकान बनाकर तीनों भाईयों को अलग-अलग उनको उनके जीवनकाल में ही दे दिया था। जिसमे तीनों भाई अलग-अलग उन प्लॉटों में आज तक रहते चले आ रहे है और सबसे बड़ा पुत्र नाना की मृत्यु हो जाने से उसके प्लॉट में उसकी पत्नी कमला बाई रहती है दूसरे पुत्र शंकरलाल (निगराकार) है जिसके दो पुत्रों नाम क्रमशः पीरूलाल व सुरेश है वे सब साथ रह रहे है तीसरा पुत्र भगवानलाल है जो भी उसके प्लॉट में रह रहा है नाना व शंकर (निगराकार) के बीच वाला प्लॉट भगवानलाल का है। इस प्रकार निगराकार ने 19 फरवरी 2011 को अपने मकान व प्लॉट का बापी पट्टा बनाने है विपक्षी नम्बर 01 के यहां फार्म भरा जिसमे शंकर (निगराकार) के पट्टा जारी करने हेतु स्वयं भूराजी ने अपना अनापत्ति का शपथ-पत्र दिया था। निगराकार ने अपने आवेदन फार्म में अपने प्लॉट के पड़ौसी पश्चिम दिशा का रामेश्वर तेली, दक्षिण दिशा का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कालु पिता जीता रेगर का शपथ–पत्र दिलाया किन्तु विपक्षी नम्बर 01 ने निगराकार के नाम पर वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा जारी नही किया और विपक्षी नम्बर 02 पीरूलाल का कोई प्लॉट नही हैं, उसके पिता अभी जीवित है। शंकरलाल (निगराकार) के दो पुत्र है। इस प्रकार वादग्रस्त प्लॉट को अकेले विपक्षी नम्बर 02 पीरूलाल के नाम वादग्रस्त पट्टा जारी करने में गंभीर कानूनी भूल की है। इस कारण वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश है। विपक्षी नम्बर 02 ने अपने आवेदन–पत्र में प्लॉट की साईजे गलत अंकित की है। पूर्वी भुजा 12 फीट पश्चिमी भुजा 14 फीट दक्षिणी भुजा 60 फीट उत्तरी भुजा 60 फीट गलत अंकित है उसका विपक्षी नम्बर 01 ने बिना फॉर्म की जांच किये तथा प्लॉट का बिना भौतिक सत्यापन किये वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 गलत जारी कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी नम्बर 02 ने अपने आवेदन पत्र में अपने प्लॉट का पश्चिम दिशा व पड़ौसी रामेश्वर तेली को दिखाया किन्तु रामेश्वर तेली का शपथ–पत्र नहीं दिया है, दक्षिण दिशा का पड़ौसी कालू पिता जेता रेगर दिखाया किन्तु उसका शपथ–पत्र नहीं दिया है। इसी प्रकार उत्तर दिशा का पड़ौसी भगवानलाल रेगर को दिखाया किन्तु उसका शपथ–पत्र नही दिया है। इसी प्रकार विपक्षी नम्बर 02 के पिता शंकरलाल रेगर (निगराकार) जीवित है किन्तु उनका अनापत्ति का शपथ–पत्र भी विपक्षी ने नहीं दिलाया है। इस कारण पट्टा संख्या 24 निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 जारी करने की कोई मिसल कायम नहीं की है। वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 के वादग्रस्त प्लॉट में बना घर विपक्षी नम्बर 02 ने 50 वर्षों से अधिक समय से बनाया हुआ होना बताया है जबकि विपक्ष नम्बर 2 की उम्र ही 40 वर्ष है। इस कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त पट्टा संख्या 24 जो विपक्षी नम्बर 02 के नाम पर है उसे निरस्त करने का आदेश प्रदान करें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है।निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये है।

157. **Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

(a)	For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules	Rs. 100 /-
(b)	For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016].	Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। प्रावधानुसार जहॉ व्यक्त्यिों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 को विवादित पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.03.2019 जारी किया गया। उक्त मिसल पत्रावली रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में मिल नहीं रही है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा को पुराने गृह का पट्टा जारी किये जाने बाबत् गैर निगराकार संख्या 2 का आवेदन पत्र रिकार्ड पर नहीं है। हमने बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.03.2019 में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 का अवलोकन किया। प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि निर्धारित समय तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सर्वसम्मति से पुश्तैनी पट्टा जारी करने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में हम यह स्पष्ट कराना चाहते है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है किया गया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत उक्त पट्टा जारी किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.03.2019 अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा जारी किया गया है, उक्त पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की जाकर विधिक भूल किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा पंचायत समिति निम्बाहेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम प्रावधानों के तहत गैर–निगराकार संख्या 02 को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित बुक संख्या 004 पट्टा संख्या 024 दिनांक 05.03.2019 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत रोलाहेडा पंचायत समिति निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित बुक संख्या 004 पट्टा संख्या 024 दिनांक 05.03.2019 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम/प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा द्वारा जारी बुक संख्या 004 पट्टा संख्या 024 दिनांक 05.03.2019 जो कि गैर निगराकार संख्या 02 पीरूलाल पिता शंकरलाल जाति रेगर निवासी रोलाहेडा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

चूंकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत रोलाहेडा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में पक्षकारान द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी रोलाहेडा को मार्फत विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ के सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official